दिनांकः- 14.11.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा हत्या के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है दिनांक 06.09.2023 को वादी अंचुक पुत्र नरेश निवासी ग्राम नवादा थाना सरसावा सहारनपुर द्वारा थाना सरसावा पर आकर लिखित सूचना दी थी कि दिनांक 01.09.2023 को अभि0 गणो द्वारा वादी के पिता नरेश को ग्राम नवादा से बुलाकर अपने साथ ले जाकर पंकज सैनी के मकान पर बन्धक बनाकर जान से मारने की नियत से मारपीट की गयी थी जिसकें सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 265/2023 धारा 307/342 भादवि पंजीकृत किया गया था। मजरूब नरेश की उपचार के दौरान दि0 24.09.23 को मृत्यू हो गयी थी जिस कारण अभियोग मे धारा 307 भादवि का विलोपन कर धारा 302/147/149 भादवि की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये गये। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी सरसावा श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 14.11.2023 को प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त **अंकुश राणा पुत्र कुलदीप राणा नि0 ग्राम अपलाना थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अंकुश राणा उपरोक्त को समय से मा0न्या0 के समक्ष पेश किया जायेगा। उपरोक्त प्रकरण में चार अभियुक्तगण को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अंकुश राणा पुत्र कुलदीप राणा नि0 ग्राम अपलाना थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार, थाना सरसावा जनपद – सहारनपुर
2.उ0नि0 सुभाष चन्द्र थाना सरसावा जनपद – सहारनपुर
3.हे0का0 153 सचिन थाना सरसावा जनपद – सहारनपुर
4.का0 007 सुमित थाना सरसावा जनपद – सहारनपुर

दिनांकः- 14.11.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नागल साइबर सैल पुलिस टीम द्वारा साइबर ठगी के शिकार हुये व्यक्ति के कराये गये शत-प्रतिशत रूपये (50,470/-) वापस

अवगत कराना है कि दिनांक 03/11/2023 को शिकायकर्ता मौहम्मद फैसल पुत्र अशफाक निवासी नियर बडी नहर मानक मऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर हाल क्लीनिक कस्बा व थाना नागल जनपद सहारनपुर द्वारा थाना नागल पर साइबर शिकायत सं0 23111230097929 पंजीकृत कराई थी, जिसमें आवेदक से एक्सिस बैंक का फर्जी अधिकारी बनकर लोन रिपेमेन्ट के नाम पर 50,470/- रूपये ट्रांसफर करा लिये थे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराधो की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्रीमती कुसुम भाटी के कुशल नेतृत्व में थाना नागल पर गठित साइबर सेल टीम द्वारा उक्त प्रकरण में तत्काल कार्यवाही करते हुये शिकायतकर्ता मौहम्मद फैसल पुत्र अशफाक उपरोक्त की धोखाधडी में गई पूरी धनराशि 50,470/- रूपये आज दिनांक 14/11/2023 को साइबर हेल्प डेस्क टीम थाना नागल द्वारा वापस कराये गये। शिकायतकर्ता द्वारा धोखाधडी में गई पूरी धनराशि वापस कराने पर थाना नागल पुलिस का आभार प्रकट किया है।

-धोखाधडी में गई धनराशि को वापस कराने वाली साईबर हेल्पडेस्क टीम-

प्र0नि0 कुसुम भाटी थाना नागल जनपद सहानपुर
निरीक्षक जितेन्द्र सिंह यादव- प्रभारी साइबर हेल्पडेस्क थाना नागल (स0पुर)
कम्प0आप0 रूपेन्द्र सिंह थाना नागल जनपद सहारनपुर
का02163 उमेश कुमार थाना नागल जनपद सहारनपुर

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजो से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।

दिनांक- 14.11.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा एक नशा तस्कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल स्पेशल जगाधरी न0 01 देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व नशीले पदार्थो की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.11.2023 को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन व तलाश वांछित व्यक्ति के दौरान एक नशा तस्कर **अभियुक्त इस्तखार पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को 12 बोतल स्पेशल जगाधरी न0 1 देशी शराब हरियाणा मार्का सहित कारण गिरफ्तारी बताते हुए गोल्डन पैलेस के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 188/23 धारा 60/63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नही है । पुलिस से छिपकर हरियाणा से सस्ती शराब खरीदकर ले आता हूँ और अपने आस पास के लोगों को थोडे ज्यादा पैसों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता –

इस्तखार पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

अपराधिक इतिहास अभि0 इस्तखार -

1-मु0अ0स0-168/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1. उ0नि0 श्री सोमपाल सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. हेका0 32 गौरव भाटी थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. का0 2370 प्रमोद कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

दिनांक - 14.11.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना तीतरों पुलिस द्वारा एक शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 20 लीटर अपमिश्रित शराब, करीब 400 लीटर लहन व शराब बनाने के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व अवैध शराब के निर्माण, बिक्री व तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन मे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13.11.2023 को मुखबिर की सूचना थाना तीतरों पुलिस द्वारा गश्त व चैकिंग के दौरान 01 **अभियुक्त दीपक पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम डूभर किशनपुर थाना तीतरों जिला सहारनपुर** को 20 लीटर अपमिश्रित शराब, करीब 400 लीटर लहन व शराब बनाने के उपकरण सहित कारण गिरफ्तारी बताते हुए ग्राम डूभर किशनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 154/2023 धारा 60(2) EX ACT व धारा 272,273 IPC के पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

अभियुक्त दीपक उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि पैसों के लालच में शराब बनाने का काम करता हूँ जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. दीपक पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम डूभर किशनपुर थाना तीतरों जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 20 लीटर अपमिश्रित शराब
- 400 लीटर के करीब लहन
- शराब बनाने वाले उपकरण

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम

1. उ0नि0 श्री अशोक कुमार यादव थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर
2. है0का0 1058 राहुल राणा थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर
3. का0 2538 चंद्रशेखर थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर
4. म0का0 मनजिंदर थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर

दिनांक: 14-11-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा मोटर साईकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए मात्र 5 घण्टे में चोरी गयी मोटर साईकिल सहित 01 वाहन चोर को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 13.11.2023 को वादी श्री सौरभ सैनी पुत्र श्री रविन्द्र सैनी निवासी जैन मन्दिर रेस्ट हाउस रोड, यमुनानगर, हरियाणा द्वारा मोटरसाइकिल मौ0 मातागढ में वादी की बहन के घर के बाहर से चोरी हो जाने के सम्बन्ध में एक लिखित तहरीर दी जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 349/2023 धारा 379 भादवि अज्ञात चोर के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व मोटर साईकिल की बरामदगी हेतु आदेश- निर्देश दिये गये। आदेशों के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 14.11.2023 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा **अभियुक्त गगन पुत्र सुभाष निवासी मौ0 मातागढ थाना मण्डी जिला सहारनपुर** को चोरी की सूचना प्राप्त होने के मात्र 5 घण्टो के अन्दर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी गयी मोटर साईकिल एच0एफ0 डिलेक्स बाईक, माडल नं0 2011 रंग Red Black रजि0 नं0 HR02Y4606, Chassis No MBLHA11ERB9G00053, Engine No. HA11EDB9G02009 सहित मण्डी समीति तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त गगन उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि कल रात के समय मै अपने मौहल्ले में घूम रहा था तो मैने हरियाणा नम्बर की मोटर साईकिल देखी। मैं नशे का आदि हूँ जिसके लिए मुझे पैसों की आवश्यकता थी। मैने सोचा कि बाहर की मोटर साईकिल है अगर चोरी करके बेच दी जाये तो ज्यादा दिक्कत नही होगी। यह सोचकर मैने इस मोटर साईकिल को दिनांक 13/11/2023 की रात्रि में मातागढ से चोरी किया था और आज मैं इस मोटर साईकिल को बेचने जा रहा था कि पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गगन पुत्र सुभाष निवासी मौ0 मातागढ थाना मण्डी जिला सहारनपुर उम्र 21 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

मोटर साईकिल एच0एफ0 डिलेक्स रजि0 नं0 HR02Y4606

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मुं0अ0सं0- 259/19 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 349/23 धारा 379 भादवि थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 736 दीपक नागर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. कां0 2014 राहुल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक: 14-11-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा प्रतिबन्धित मांझा बेचने वाले 01 दुकानदार को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में प्रतिबन्धित मांझा बेचने वाले दुकानदारों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.11.2023 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा **अभियुक्त शहदाई रजा उर्फ गुड्डु पुत्र रिजवान हुसैन नि0 सराय. मर्दान अली निकट अनवारिया मस्जिद थाना मण्डी सहारनपुर** को बंजारो के पुल के पास से कारण गिरफ्तारी बताते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से भारी मात्रा मे प्रतिबन्धित चायनीज मांझा बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 320/23 धारा 188/336 भादवि व 5/15 पर्यावरण (सरक्षंण अधि0) के पंजीकृत किया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. शहदाई रजा उर्फ गुड्डु पुत्र रिजवान हुसैन नि0 सराय. मर्दान अली निकट अनवारिया मस्जिद थाना मण्डी सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

2 काले रंग की पोलीथीन (जिसमे खुला लिपटा चायनीज मांझा)

7 चरखी प्रतिबन्धित चायनीज मांझा

गिरफ्तार करने वाले पुलिस पार्टी –

4. प्र0नि0 श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
6. उ0नि0 श्री विजय सिँह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
7. का0 1772 पवित्र कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
8. का0 1061 संदीप कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांकः **14-11-2023**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा प्रतिबन्धित मांझा बेचने वाले 01 दुकानदार को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में प्रतिबन्धित मांझा बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कुतुबशेर श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त **अतीक अहमद पुत्र अली अहमद नि0 मौहल्ला चरवरदारान थाना कुतुबशेर सहारनपुर** को लोहानी सराय स्थित अभियुक्त की दुकान से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की दुकान से भारी मात्रा मे प्रतिबन्धित चायनीज मांझा बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 319/23 धारा 188/336 भादवि व 5/15 पर्यावरण (सरक्षंण अधि0) पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अतीक अहमद पुत्र अली अहमद नि0 मौहल्ला चरवरदारान थाना कुतुबशेर सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 7 चरखी प्रतिबन्धित चायनीज मांझा
- 3 काली पोलीथीन मे खुला लिपटा हुआ चायनीज मांझा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1. प्र0नि0 श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री ओमकार सिँह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 519 ओमपाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 415 सोहनवीर सिँह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।